

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 74] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 26, 1975/चैत्र 5, 1897
No. 74] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 26, 1975/ CHAITRA 5, 1897

इस भाग में निम्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सक ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th March 1975

G.S.R. 163(E).—The following Order made by the President on 18th March, 1975 is published for general information:—

THE STATES REORGANISATION (GOVERNORS' ALLOWANCES AND PRIVILEGES) AMENDMENT ORDER, 1975

In exercise of the powers conferred by section 73 of the States Reorganisation Act, 1956 (37 of 1956), I, Fakhruddin Ali Ahmed, President of India, hereby make the following Order further to amend the States Reorganisation (Governors' Allowances and Privileges) Order, 1957, namely:—

1. This Order may be called the States Reorganisation (Governors' Allowances and Privileges) Amendment Order, 1975.

2. In the States Reorganisation (Governors' Allowances and Privileges) Order, 1957, in the Second Schedule, after proviso (7), the following proviso shall be inserted, namely:—

“(8) Provided further that for the financial year 1973-74, this Schedule shall, in so far as it relates to the State of Maharashtra, have effect as if for the figures, “30,000”, “1,50,000” and “5,00,000” occurring in columns 2, 7 and 9 thereof, the figures “76,887”, “2,04,918” and “6,01,805” had respectively been substituted.”

F. A. AHMED,
President.

[No. 2/14/74-States]

P. K. KATHPALIA, Jt. Secy.

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मार्च, 1975

सांका०नि० 163(अ).—18 मार्च, 1975 को राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया निम्नलिखित आदेश, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

राज्य पुनर्गठन (राज्यपालों के भत्ते और विशेषाधिकार) संशोधन आदेश, 1975

मैं, फखरुद्दीन अली अहमद, भारत का राष्ट्रपति, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 (1956 का 37) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य पुनर्गठन (राज्यपालों के भत्ते और विशेषाधिकार) आदेश, 1957 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करता हूँ, अर्थात् :—

1. इस आदेश का नाम राज्य पुनर्गठन (राज्यपालों के भत्ते और विशेषाधिकार) आदेश, 1975 है।

2. राज्य पुनर्गठन (राज्यपालों के भत्ते और विशेषाधिकार) आदेश, 1957 में द्वितीय अनुसूची में परन्तुक (7) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(8) परन्तु यह और भी कि वित्तीय वर्ष 1973-74 के लिए, इस अनुसूची का, जहां तक यह महाराष्ट्र राज्य से सम्बन्धित है, ऐसा प्रभाव होगा, मानों उसके स्तम्भ 2, 7 और 9 में आने वाले “30,000”, “1,50,000” और “5,00,000” अंकों के स्थान पर क्रमशः “76,887”, “2,04,918” और “6,01,805” अंक रख दिए गए हैं।”

फखरुद्दीन अली अहमद,
राष्ट्रपति।

[सं० 2/14/74-स्टेट्स]

पी० के० कठपालिया, संयुक्त सचिव।